भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1023

जिसका उत्तर सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

मुद्रा योजना के अंतर्गत एमएसएमई को ऋण सहायता

1023. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:
एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:
श्री राजेश रंजन:
डॉ. अमर सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान मुद्रा योजना के अंतर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने ऋण स्वीकृत किए गए;

(ख) सरकार द्वारा देश में इस संबंध में बाधाओं को दूर करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(घ) क्या तटीय क्षेत्र में मत्स्य पालन से होने वाले उत्पादन के मूल्यवर्धन में उद्यमशीलता को सहायता प्रदान करने के लिए मुद्रा योजना का विस्तार किया जा सकता है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): विगत पांच वर्ष, अर्थात् दिनांक 1.4.2019 से दिनांक 31.3.2024 तक, के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत 29.58 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ख): देश में एमएसएमई की बाधाओं को दूर करने और उन्हें ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) निवेश को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई के वर्गीकरण हेतु संशोधित मानदंड;

(ii) एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत निधि के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी का निवेश और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से एमएसएमई के लिए गारंटी कवर;

(iii) 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं;

(iv) एमएसएमई के लिए "उद्यम पंजीकरण";

(v) शिकायत निवारण और एमएसएमई की सहायता सहित ई-गवर्नेन्स के विभिन्न पहलुओं को कवर करने के लिए जून 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल "चैम्पियन्स" का शुभारंभ;

(vi) एमएसएमई की स्थिति में उन्नतशील बदलाव के मामले में गैर-कर लाभ 3 वर्ष के लिए बढ़ाए गए। 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई के कार्यनिष्पादन को बढ़ाने और इसमें तेज़ी लाने के (आरएएमपी) कार्यक्रम को आरंभ करना;

(vii) इसके अतिरिक्त, अन्य पहल जैसे:

(क) मेक इन इंडिया कार्यक्रम,

(ख) व्यवसाय सहजता को बढ़ावा देना,

(ग) मुद्रा और स्टैंड-अप इंडिया स्कीम के माध्यम से ऋण की उन्नत उपलब्धता।

इसके अतिरिक्त, बजट 2024-25 में एमएसएमई क्षेत्र के लिए निम्नलिखित घोषणा की गई है:-

- दबाव की अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता;
- टीआरईडी में अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए दायरे में वृद्धि की गई;
- एमएसएमई ऋण के लिए नया मूल्यांकन मॉडल;
- विनिर्माण के क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना।

(ग): अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एमएसएमई की सहभागिता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उनको सहायता प्रदान करने के लिए किए गए विभिन्न उपाय निम्नानुसार हैं:-

- एमएसई को अपना उत्पाद और अपनी सेवाएं विदेशी बाजारों में निर्यात करने के लिए अपेक्षित मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध कराने हेतु पूरे देश में निर्यात सुविधा केन्द्र (ईएफसी), उपक्रम विकास केन्द्र (ईडीसी) तथा डाकघर निर्यात केन्द्र की स्थापना;
- एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादों और सेवाओं की विपणन क्षमता को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना को लागू करना;
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के क्षमता निर्माण सहित उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कलस्टर विकास कार्यक्रम;
- जिला निर्यात हब पहल तथा एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल आरंभ करना।

(घ): वर्ष 2016-17 से कृषि से सम्बद्ध कार्यकलापों (इसमें मत्स्यपालन भी शामिल है) और उन्हें सहायता प्रदान करने वाली सेवाएं जो आजीविका का संवर्धन करने वाली या आय का सृजन करने वाली हैं, उन्हें पीएमएमवाई के दायरे में लाया गया था।

*****